समक्षः– न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्ड़ल ग्वालियर म.प्र. 114

प्र.क. / 17 निगरानी जिला - श्योपुर

II/निगरानी/श्योपुर/भू.रा/2018/0167

शमशाद खॉ पुत्र अहमद उम्र 45 साल जाति मुसलमान व्यवसाय खेती निवासी ग्राम बगवाज तह.व जिला श्योपुर म.प्र.

.......निगरानीकर्ता

श्री सुरेश कुशवाह .... 4-1-18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 23-1-18 नियत।

रीडर ऑफ कोर्ट 4-1-18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

बनाम

फिरोज पुत्री जुम्मा खॉ पत्नि रफीक निवासी बालापुरा श्योपुर जिला श्योपुर म.प्र.

.......अनावेदक

<u>निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.राजस्व सहिंता 1959 विरूद्व न्यायालय तहसीलदार श्योपुर के प्रकरण क0 48/15–16 अ.6 फिरोज बनाम शासन मे पारित आदेश दिनांक 6.12.17</u>

मान्यवर महोदय

प्रकरण के सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि निगरानीकर्ता के परिवार की पेत्रिक सम्पत्ति कृषि भूमि सर्वे क0 522/1 रक्बा 15 बिस्वा 522/2 रक्बा 3 बीघा 1 बिस्वा कुल रक्बा 3 बीघा 16 बिस्वा ग्राम बगवाज जिला श्योपुर मे स्थित है इस भूमि पर नामांत्रण हेतु अनावेदिका ने अधिनस्थ तहसीलदार न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया जिसमें दिनांक 9.3.17 को आवेदक ने लिखित आपत्ति प्रस्तुत की जिसके जवाब हेतु प्रकरण नियत किया गया कितुं आपत्ति के निराकरण तथा निगरानीकर्ता को अनावेदिका एंव उसके साक्षीगण पर प्रतिपरीक्षण का अवसर दिये बगैर तथा निगरानीकर्ता/आपत्तिकर्ता को सुनवाई और साक्ष्य का अवसर दिये बिना प्रकरण को प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 6.12.17 से बहस एंव अवलोकनार्थ आदेश हेतु नियत कर दिया गया जिससे व्यथित होकर हस्ब जेल आधारो पर यह निगरानी पेश है

<u>निगरानी के आधार</u>

1. यह कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नाधीन आदेश विधि एंव विधान के विपरित होकर निरस्त होने योग्य है

न्यायालय, राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

प्रकरण कमांक दो/निगरानी/श्योपुर/भू.रा/2018/0167

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकोंआदि के हस्ताक्षर
17 –1 –18	आवेदक के अधिवक्ता श्री सुरेश कुशवाह उपस्थित। आवेदक अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार श्योपुर के प्रकरण कमांक 48/अ–16/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 06.12.17 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। 2–आवेदकगण के अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से स्पष्ट है कि आवेदक अधिवक्ता का मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया है कि आवेदक ने लिखित आपत्ति प्रस्तुत की जिसके जवाब हेतु प्रकरण नियत किया गया, किन्तु आपत्ति के निराकरण तथा निगरानीकर्ता को एवं उसके साक्षीगण पर प्रतिपरीक्षण का अवसर दिये बगैर तथा आपत्ति का निराकरण एवं सुनवाई, साक्ष्य का अवसर नहीं दिया गया है। प्रकरण के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदक हितबद्व पक्षकार है और साक्ष्य का अवसर नहीं दिया गया है। इसलिये तहसीलदार का आदेश दिनांक 6.12.17 त्रुटिपूर्ण परिलक्षित होता है। 3–उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार श्योपुर के प्रकरण कमांक 48/अ–16/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 06.12.17	

त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार तहसील श्योपुर को प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वह उभयपक्ष को साक्षीगण पर प्रतिपरीक्षण एवं आवेदक को साक्ष्य का अवसर प्रदान करते हुये आदेश पारित करें। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। पक्षकार सूचित हों। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालयों को भेजी जावे। राजस्व मण्डल का प्रकरण अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य